Roll	No.	•••••
------	-----	-------

## E-1208

# LL. B. (Part II) (First Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2020-21

## Paper Fourth

LAW OF EQUITY AND INDIAN TRUST ACT, 1882

Time: Three Hours [ Maximum Marks: 100

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से कम से कम दो प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt any *five* questions in all. At least *two* questions from each Sections are compulsory. All question carry equal marks.

#### खण्ड—अ

## (Section—A)

देवकीनंदन बनाम मुरलीधर एवं अन्य ए. आई. आर., 1957 सुप्रीम कोर्ट
 133 के तथ्यों और उसमें प्रतिपादित सिद्धान्तों को लिखिए।

Write the facts and principles of laid down in the case of Devkinandan *vs.* Murlidher and others AIR, 1957 SC 133.

[2] E-1208

 रोमन, इंग्लिश एवं भारतीय विधि व्यवस्थाओं में साम्य की व्याख्या कीजिए।

Comment on Equity under the Roman, English and Indian Legal System.

- साम्या के क्षेत्राधिकार के विभाजन पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
   Write a short essay on the division of Jurisdiction of Equity.
- 4. ज्यूडिकेचर अधिनियम, 1873-1875 के उद्देश्य व प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

Discuss objects and effects of the Judicature Act, 1873-1875.

 साम्यिक अधिकार एवं हित से आप क्या समझते हैं ? साम्यिक अधिकारों का वर्गीकरण व्याख्या कीजिए।

What do you understand by nature of Equitable Rights and Interest? Comment on classification of Equitable Rights.

### खण्ड—ब

## (Section—B)

 भारतीय विधि में ट्रस्ट के महत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्गम एवं विकास का वर्णन कीजिए।

Describe historical background, Origin, importance and development of Trust under Indian Law.

 ट्रस्ट की रचना, ट्रस्टी के अधिकारों एवं शक्तियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

Discuss on creation of trust, the rights and powers of trustee.

ट्रस्ट के प्रकारों पर निबन्ध लिखिए।
 Write essay on kinds of Trust.

9. 'साइप्रेस के सिद्धान्त' की व्याख्या कीजिए। Write a discuss on Doctrine of Cypres.

लाभार्थी के अधिकार एवं कर्त्तव्यों को समझाइए।
 Explain the Rights and Liabilities of Beneficiaries.